

**अध्याय-॥**

**वाणिज्य कर प्राप्तियां**



## अध्याय - II: कर प्राप्तियां

### वाणिज्य कर विभाग

#### 2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। 1 जुलाई 2017 से, राज्य वस्तु एवं सेवा कर झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.) में, प्रधान/मुख्य आयुक्त राज्य कर, इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें एक अपर आयुक्त एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्तों (रा.क.सं.आ.), राज्य कर संयुक्त आयुक्तों अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के साथ राज्य कर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्य कर प्रमंडलों<sup>1</sup>, प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार में एवं 28 अंचलों<sup>2</sup>, प्रत्येक उपायुक्त/सहायक आयुक्त राज्य-कर (उ.रा.क./सं.आ.रा.क.) के प्रभार में विभाजित है। अंचल के उ.रा.क./सं.आ.रा.क., जिन्हें राज्य कर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। सं.आ.रा.क.(प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक उपायुक्त, अ.ब्यू. पदस्थापित होते हैं तथा प्रत्येक प्रमंडल में, मुख्यालय के नियंत्रण में, एक उ.रा.क. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं, वह करदाताओं के गोदाम या मालखानों के निरीक्षण, वस्तुओं या दस्तावेजों की जाँच एवं जब्ती, वस्तुओं के आवागमन का निरीक्षण एवं इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कार्य का निर्वहन करते हैं।

<sup>1</sup> धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

<sup>2</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

## 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग के 44 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों (23 प्रतिशत) में से  $10^3$  के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान, राज्य में कुल 2,28,771 निर्धारिती निबंधित थे, जिनमें से 49,385 निर्धारिती नमूना जाँच इकाईयों में निबंधित थे। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच इकाईयों में 1,663 कर निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया। इसके अलावा, 'ट्रांज़िशनल क्रेडिट' पर एक लेखापरीक्षा भी संचालित किया गया। विभाग ने 2019-20 के दौरान ₹12,414.05 करोड़ (बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹3,996.33 करोड़ और राज्य वस्तु और सेवा कर: ₹8,417.72 करोड़) राजस्व का संग्रहण किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹6,641.82 करोड़ (53.50 प्रतिशत) संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने 193 मामलों में ₹582.63 करोड़ की राशि की अनियमितताओं की पहचान किया जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	ट्रांज़िशनल क्रेडिट	1	138.13
2	आवर्त के छिपाव के कारण कर का अनारोपण/अल्पारोपण	36	205.93
3	ब्याज/अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	12	76.79
4	ब्याज का अनारोपण/अल्पारोपण	30	68.44
5	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	55	41.63
6	कर से छूट की अनियमित अनुमति	27	22.15
7	कर की गलत दरों का अनुप्रयोग	18	8.30
8	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का अल्पारोपण	4	3.29
9	अन्य मामलें	10	17.97
कुल		193	582.63

विभाग ने 65 मामलों में ₹65.37 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 2020-21 में 28 मामलों में ₹44.75 करोड़ और शेष पिछले वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे।

<sup>3</sup> राज्य कर उपायुक्त का कार्यालय, आदित्यपुर, बोकारो, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों को कंडिका 2.3 में चर्चा की गई है। तदन्तर, मूल्यवर्द्धित कर (मू.व.क.), से संबंधित ₹ 120.66 करोड़ की राशि के 48 मामलों के अनियमितताओं को कंडिका 2.4 से 2.9 में दर्शाया गया है। मामले जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरंतर प्रतिवेदित नहीं, का विवरण तालिका - 2.2 में वर्णित है।

तालिका - 2.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना	18	284.10	108	405.37	1	1.10	3	25.99	39	812.99	169	1,529.55
अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण	15	53.14	-	-	2	3.93	2	1.60	9	131.51	28	190.18
अस्वीकृत छूटों/रियायतों पर ब्याज का अनारोपण	19	119.92	62	142.00	6	10.95	2	3.97	40	102.24	129	379.08
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति में अनियमिततायें	11	5.76	26	3.36	-	-	-	-	29	23.81	66	32.93
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	22	15.44	21	11.07	-	-	1	4.39	10	14.53	54	45.43
छूट की गलत अनुमति	-	-	16	15.43	-	-	-	-	-	-	16	15.43

यह पाया गया कि यद्यपि वाणिज्य कर विभाग ने समान प्रकार के लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने का आदेश (मई 2015) कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) को दिया और आश्वासन दिया (अगस्त 2016), कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर समुचित कारवाई की जाएगी, फिर भी समान प्रकार की अनियमिततायें घटित हुईं। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष जारी निरंतर घटित अनियमितताओं को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किया।

## 2.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट


### 2.3.1 परिचय

जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) का कार्यान्वयन अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केन्द्र और राज्यों द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। जी.एस.टी. एक गंतव्य आधारित कर है, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, कई चरणों में अधिरोपित किया जाता है जिसमें कर आपूर्ति के साथ-साथ चलेगी। कर, केन्द्र और राज्यों द्वारा एक साथ एक उभय-निष्ठ कर आधार पर अधिरोपित किया जाता है तथा उस कर प्राधिकारी को उपार्जित होगा जिसके पास आपूर्ति के स्थान पर क्षेत्राधिकार हो। इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का आउटपुट कर दायित्व संदाय के लिए उपलब्धता, जी.एस.टी. की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह करों के व्यापक प्रभाव से बचाता है और विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। विद्यमान विधि से जी.एस.टी. व्यवस्था में इनपुट कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.जी.एस.टी.) अधिनियम में 'इनपुट टैक्स के लिए एक प्रावधान ट्रांजिशनल व्यवस्था' को शामिल किया गया था जो कि विद्यमान विधि के अंतर्गत भुगतान किये गए उचित करों के संबंध में इनपुट कर का दावा करने की हकदारी और प्रणाली प्रदान करता है। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यवसाय के लिए, ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान, विद्यमान विधि के विवरणी में संचित क्रेडिट, कच्चे माल से संबंधित इनपुट कर, कार्य में प्रगति, 01 जुलाई 2017 के नियत दिन को भंडारित निर्मित वस्तु के साथ-साथ पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट का जी.एस.टी. काल में ट्रांजिशन को सुनिश्चित करते हैं। यह प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी अग्रसारित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय के सामान्य क्रियान्वयन में या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता हो।

### 2.3.2 कर प्रशासन

वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.) झारखण्ड सरकार, 01 जुलाई 2017 से राज्य में झा.जी.एस.टी. प्रशासित कर रहा है। वा.क.वि. में राज्य कर आयुक्त, झा.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्तों, उपायुक्तों एवं सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

विभाग की संगठनात्मक चार्ट नीचे प्रदर्शित है:



### 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जी.एस.टी. के अधीन आई.टी.सी. के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था की लेखापरीक्षा निम्न आश्वासन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी:

- क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; और
- क्या निर्धारितियों द्वारा जी.एस.टी. के दौर में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 6, धारा 140 से 142, धारा 161, धारा 50 और धारा 73;
- झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117 और 118; एवं
- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (सी.बी.आई.सी.) और वा.क.वि. द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, कार्यकारी और विभागीय आदेश और निर्देश।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा का दायरा और विस्तार

जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि से संबंधित "ट्रांज़िशनल क्रेडिट" की लेखापरीक्षा जनवरी और सितंबर 2021 के बीच संचालित किया गया। उक्त अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के आँकड़ें वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (व.एवं.से.क.ने.) से प्राप्त किया गया। प्राप्त आँकड़ों में आई.टी.सी. श्रेणी का स्तरीकरण आधारित नमूना<sup>4</sup> और ट्रान-1 के प्रत्येक आई.टी.सी. स्रोत श्रेणियों<sup>5</sup> यथा तालिका 5 (सी), तालिका 6 (बी), तालिका 7 (बी), तालिका 7 (सी), तालिका 7 (डी), तालिका 10 (ए) और तालिका 11 (सी) में से 10 प्रतिशत मामलों का चयन किया गया था।

राज्य में करदाताओं द्वारा प्रपत्र ट्रान-1 में किए गए सन्निहित ₹365.13 करोड़ के राज्य वस्तु एवं सेवा कर के ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों के 2,845 मामले थे। उपरोक्त नमूना पद्धति के आधार पर, सभी 28 वाणिज्य कर अंचलों<sup>6</sup>, से संबंधित ₹258.07 करोड़ की राशि के ट्रांज़िशनल क्रेडिट के 358 मामलों का चयन किया गया था।

### 2.3.6 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में आई.टी.सी. का दावा करने के लिए ट्रांज़िशनल व्यवस्था के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा दाखिल प्रपत्र ट्रान-1 की जाँच शामिल थी। इसमें चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया और परिणामों की जाँच भी शामिल थी। व्यक्तिगत ट्रांज़िशनल क्रेडिट दावों को नियत तिथि से तुरंत पहले, विद्यमान विधि के अंतर्गत दाखिल अंतिम छः माह के मू.व.क. काल के अधीन विवरणियों के साथ-साथ ऐसे दावों के समर्थन में दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य से सत्यापित किया गया था। दावों का सत्यापन, जहाँ आवश्यक हो, मू.व.क.

<sup>4</sup> प्रत्येक स्तर से अलग-अलग मामलों के चयन के लिए जोखिम और भौतिकता पर आधारित स्कोरकार्ड दृष्टिकोण का उपयोग किया गया।

<sup>5</sup> तालिका 5 (सी)- पिछले मू.व.क. विवरणी में आई.टी.सी. के समापन शेष पर ट्रांज़िशनल क्रेडिट।

तालिका 6 (बी)- पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट।

तालिका 7 (बी)- पारगमन में इनपुट।

तालिका 7 (सी)- कर भुगतान/शुल्क भुगतान स्टॉक पर क्रेडिट।

तालिका 7 (डी)- मौजूदा कानून के अधीन छूट प्राप्त वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट जो अब कर योग्य हैं।

तालिका 10 (ए) और (बी)- केन्द्रीय रूप से निर्बंधित इकाइयों द्वारा क्रेडिट का हस्तांतरण।

तालिका 11- झा.मू.व.क. अधिनियम और वित्त अधिनियम दोनों के अन्तर्गत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट।

<sup>6</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

काल के कर-निर्धारण अभिलेखों से भी किया गया। तदन्तर, भण्डारित सामग्री से संबंधित आई.टी.सी. के दावा के सत्यापन में आवश्यक लेखांकन विवरणों, के साथ-साथ ऐसे वस्तुओं की खरीद को साबित करने वाले दस्तावेजों या अभिलेखों की जाँच शामिल थी। 22 जुलाई 2021 को सचिव, वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.), झारखण्ड सरकार, के साथ एक प्रारंभिक बैठक (अंतर्गमन सम्मेलन) आयोजित की गई जिसमें विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का दायरा, नमूना चयन, लेखापरीक्षा पद्धति और तंत्र पर विस्तार से चर्चा की गई।

ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा जनवरी और सितंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी। टिप्पणियों/उत्तरों के लिए मसौदा प्रतिवेदन 30 नवंबर 2021 को विभाग को निर्गत किए गए थे। सचिव, वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, के साथ 16 फरवरी 2022, को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

### 2.3.6.1 आभारोक्ति

आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, के सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

### लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने मानदंड के विरुद्ध व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे का मूल्यांकन किया और विभागीय गठन द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के तंत्र का भी मूल्यांकन किया और करदाताओं के सत्यापन और झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियम में निर्धारित मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता में कमियों को देखा।

**तालिका-2.3** विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की सीमा को दर्शाती है।

तालिका-2.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा परिणामों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		देखी गई कमियों की संख्या		नमूने के प्रतिशतता में कमियाँ
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत	302	247.60	57	60.08	18.87
अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	302	247.60	22	51.31	7.28
पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	13	16.90	05	14.84	38.46
स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	41	3.60	04	1.37	9.75
पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	49	3.47	08	1.25	16.33
प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	16	0.10	01	0.03	6.25
कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	08	1.61	02	2.57	25.00
अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज का अल्पारोपण/अनारोपण	358	258.07	24	6.08	6.70
मू.व.क. विवरणी दाखिल किये बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	358	258.07	04	0.05	1.11
अन्य	358	258.07	02	0.55	0.27
<b>कुल</b>			<b>129</b>	<b>138.13</b>	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने 19 प्रतिशत मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत, सात प्रतिशत मामलों में अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 38 प्रतिशत मामलों में पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 10 प्रतिशत मामलों में स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 16 प्रतिशत मामलों में पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, 25 प्रतिशत मामलों में कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ और एक फीसदी मामलों में झा.मू.व.क. विवरणी दाखिल किये बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ को देखा। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने झा.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से अन्य विचलनों को पाया जिसके परिणामस्वरूप सात प्रतिशत मामलों में अस्वीकृत

ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण और अन्य विचलन जैसे, निर्धारित अवधि के उपरान्त मांग पत्र का अनियमित संशोधन और 'कंपोजिशन लेवी' योजना के अन्तर्गत करदाता द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा परिणामों, प्रणाली की खामियों और सुधारात्मक उपायों की चर्चा बाद के कंडिकाओं में की गई है।

### 2.3.7 प्रणालीगत मुद्दे

#### 2.3.7.1 विभाग द्वारा परिकल्पित चयन तंत्र

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(1) सभी पहलुओं में राज्य कर अधिकारियों और केन्द्रीय कर अधिकारियों दोनों के द्वारा करदाताओं पर दोहरे नियंत्रण की परिकल्पना करती है और निर्दिष्ट करती है कि झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (के.जी.एस.टी.) अधिनियम के उद्देश्य के लिए समुचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं। तदनुसार, प्रधान सचिव सह आयुक्त, वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, ने सभी करदाताओं के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.जी.एस.टी.) क्रेडिट दावों की, चाहे उनके निबंधन का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, सत्यापन प्रक्रिया को 10 अप्रैल 2018 तक पूरा करने का निर्देश दिया (मार्च 2018)। तदन्तर, झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 73(10), निर्धारित करता है कि गलत तरीके से प्राप्त आई.टी.सी. के कर और अर्थदंड के निर्धारण के लिए आदेश उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्गत किया जाएगा, जिसमें आई.टी.सी. का गलत तरीके से लाभ उठाने से संबंधित है।

विभाग ने झा.जी.एस.टी. के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सभी 2,845 मामलों को प्रपत्र ट्रान-1 में सत्यापन के लिए चुना, जिसमें करदाताओं द्वारा दावा किए गए ₹ 365.13 करोड़ शामिल थे। लेखापरीक्षा ने सभी 28 वा.क.अं., पर ट्रांजिशनल क्रेडिट, की सत्यापन प्रतिवेदन की जाँच से पाया कि ₹ 365.13 करोड़ के कुल दावे में से 1,139 करदाताओं के संबंध में ₹ 268.98 करोड़, का दावा सितंबर 2021 तक विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट के 1,706 मामले असत्यापित रहे, जिसके कारण करदाताओं द्वारा ₹ 96.15 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापित नहीं किए गए दावों का लाभ उठाया गया (**परिशिष्ट-1**)। विभाग ने सत्यापन की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया। असत्यापित दावों की संख्या का पता लगाने और सत्यापन को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सत्यापन प्रतिवेदन का भी विभागीय स्तर पर विश्लेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि के.जी.एस.टी. विभाग ने कुल दावा किए गए आँकड़ों से एक नमूना लेने के तंत्र को अपनाया था और उच्च वित्तीय प्रभाव वाले करदाताओं और जिन्होंने पूर्ववर्ती अवधि से 25 प्रतिशत से अधिक आई.टी.सी. की वृद्धि दिखाई थी उन करदाताओं के दावों का चयन किया था। हालांकि, वा.क.वि. ने बिना किसी मानदंड को आवंटित किए सभी 2,845 मामलों, का चयन किया जिसके परिणामस्वरूप 1,530 मामलों (कुल मामलों का 54 प्रतिशत) का चयन हुआ जहाँ व्यक्तिगत दावा ₹ एक लाख से कम था। विभाग उच्च वित्तीय निहितार्थ वाले दावों का समयबद्ध तरीके से चयन और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कुल दावे से एक नमूना लेने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता था।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा, (फरवरी 2022) कि शेष ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को जल्द से जल्द सत्यापित करने के लिए संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं। हालांकि, सत्यापन का परिणाम प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

#### विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र में अनियमिततायें

प्रधान सचिव सह आयुक्त, वा.क.वि., झारखण्ड सरकार, ने रा.जी.एस.टी. के सभी दावों को सत्यापन करने का निर्देश पारित किया और ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए एक निदर्शी जाँच सूची निर्धारित (मार्च 2018) की। तदन्तर, अपर आयुक्त, राज्य कर, ने सभी रा.क.सं.आ. (प्रशासन) को ₹ 50 लाख से ऊपर के झा.जी.एस.टी. के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने का निर्देश दिया (मार्च 2018)।

नमूनाकृत 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि समुचित अधिकारियों ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। तदन्तर, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था कि समुचित अधिकारी/रा.क.सं.आ. निर्देशों का पालन करते हैं और अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों पर सुधारात्मक उपाय करते हैं। परिणामस्वरूप, ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को उन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया जो दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं थे और अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली पर अनुवर्ती कार्रवाई में अनियमिततायें थीं, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

### 2.3.7.2 दावों को सत्यापित करने के लिए अनाधिकृत अधिकारियों द्वारा ट्रांजिशनल दावों का सत्यापन

23 वा.क.अं. में संयुक्त आयुक्तों को ₹ 50 लाख से अधिक के 105 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तथापि, उ.रा.क./स.आ.रा.क./रा.क.प. द्वारा 75 मामलों का सत्यापन किया गया और शेष 30 मामले असत्यापित रहे।

करदाताओं द्वारा दाखिल ट्रान-1 से संबंधित अभिलेखों (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और विभाग द्वारा प्रस्तुत इन ट्रान-1 विवरणियों की सत्यापन प्रतिवेदन की नमूना-जाँच में उद्घटित हुआ कि 105 करदाताओं<sup>7</sup> ने 23 वाणिज्य कर अंचलो<sup>8</sup>, में ₹ 50 लाख से अधिक के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। निर्देशों के अनुसार, इन सभी दावों को सं.आ.रा.क. के द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था। तथापि, यह देखा गया कि 105 मामलों में से 75 मामलों का सत्यापन उ.रा.क./स.आ.रा.क./रा.क.प. द्वारा किया गया और 30 मामले असत्यापित रहे (सितंबर 2021)। लेखापरीक्षा ने देखा कि, यद्यपि विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, उक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं था। परिणामस्वरूप, 75 मामले उन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए जो इन दावों को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे और 30 मामले असत्यापित रहे।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित (नवम्बर 2021) किया गया; सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि अधिकृत अधिकारियों को दावों के पुनः सत्यापन के लिए निर्देशित किया गया है। सत्यापन के परिणाम प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।

### 2.3.7.3 अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली पर अनुवर्ती कार्रवाई में अनियमिततायें

24 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 14.06 करोड़ के अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 78 निर्धारित करती है कि, इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सेवा की तारीख से तीन महीने की अवधि

<sup>7</sup> वा.क.वि., झारखण्ड सरकार के पास दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के 2,845 मामलों में से 105 मामले ₹ 50 लाख के दावे से संबंधित हैं।

<sup>8</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

के भीतर किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आगे, झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 79 निर्धारित करती है, कि जहाँ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समुचित अधिकारी किसी भी एक या अधिक तरीकों से राशि की वसूली करेगा, अर्थात् ऐसे व्यक्ति को देय किसी भी राशि से देय राशि की कटौती, ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी भी वस्तु को कब्जे में लेना और बेचना, ऐसे व्यक्ति की किसी चल या अचल संपत्ति को रोकना या ऐसे व्यक्ति से उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करना, जैसे कि यह भू-राजस्व आदि का बकाया था।

लेखापरीक्षा ने चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और देखा कि, नौ वा.क.अं.<sup>9</sup> में, 19 मामलों में इन करदाताओं ने ₹46.01 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। समुचित अधिकारियों, ने इन दावों के सत्यापन पर ₹39.64 करोड़ की राशि को गलत तरीके से ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी और अस्वीकृत क्रेडिट पर ₹8.80 करोड़ का ब्याज और अर्थदंड लगाया। तदनुसार, प्रपत्र डी.आर.सी.-07, में ₹48.44 करोड़, का मांग पत्र निर्गत किया गया (अप्रैल और दिसंबर 2018 के बीच) और समुचित अधिकारियों द्वारा ₹34.38 करोड़ की राशि वसूल की गई। तथापि, ₹14.06 करोड़ की शेष राशि आज तक वसूली नहीं की जा सकी और इन करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक देयता पंजी में बकाया देयता के रूप में दर्शाई गई थी और इसकी वसूली के लिए समुचित अधिकारियों, द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। आगे, यह देखा गया कि विभाग द्वारा जारी जाँच सूची में उनके द्वारा अस्वीकृत दावों पर समुचित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से लिए गए ₹14.06 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली नहीं हुई (सितंबर 2021) (परिशिष्ट-II)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) छः मामलों में ₹36 लाख की राशि वसूल की गई है (ii) शेष मामलों में सभी संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

### 2.3.8 अनुपालन के मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कर प्राधिकारियों के साथ-साथ करदाताओं द्वारा झा.जी.एस.टी. अधिनियम और नियमों, के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया और देखा कि विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए निदर्शी जाँच सूची जारी की थी (मार्च 2018)। हालांकि, निर्देशों के पालन की निगरानी न करने के

<sup>9</sup> बोकारो, चाईबासा, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़ और राँची पूर्वी।

कारण, समुचित अधिकारियों ने झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियमों, में निहित प्रावधानों के साथ-साथ विभाग द्वारा निर्धारित जाँच के अनुसार दावों का सत्यापन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत, पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, स्टॉक में रखे गए इनपुट, पारगमन में इनपुट, प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखी गई वस्तु, कार्य संविदा सेवा और ब्याज और अर्थदंड आदि, का 129 मामलों में, ₹138.13 करोड़, के मूल्य का अनारोपण/अल्पारोपण हुआ, जिसकी चर्चा बाद के कंडिकाओं में की गई है:

### 2.3.8.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रणीत

18 वा.क.अं. में 57 करदाताओं ने ₹70.42 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रणीत कर लाभ प्राप्त किया। हालांकि, ये करदाता केवल ₹33.99 करोड़ के क्रेडिट को अग्रणीत करने के योग्य थे। इस प्रकार, ₹36.43 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट अधिक अग्रणीत किया गया, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ब्याज और अर्थदंड ₹23.65 करोड़ भी आरोपणीय था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, एक निबंधित व्यक्ति मौजूदा कानून के अधीन अग्रणीत जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भरे गए विवरणी में मूल्य वर्द्धित कर, प्रवेश कर की राशि का ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने का हकदार होगा। आगे, निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 18(4)(ii) निर्धारित करती है कि आई.टी.सी. के.वि.क. अधिनियम 1956, के अन्तर्गत देय के.वि.क. की सीमा तक के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान स्वीकार्य होगी और के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत की गई अंतर-राज्यीय बिक्री पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं होगा। तदनुसार, झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन विवरणी में संशोधन किया गया ताकि इन कारकों पर डीलरों द्वारा वापस किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अभिलेखित किया जा सके।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 50(3) और 73(9) समुचित अधिकारी को, आई.टी.सी. के अनुचित या अधिक दावा किए जाने या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाए जाने या उपयोग किये जाने के मामले में 24 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से ब्याज एवं कर के 10 प्रतिशत के समतुल्य या ₹10,000, जो भी अधिक हो, अर्थदंड अधिरोपित करने का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने 302 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों, के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अन्तर्गत अंतिम झा.मू.व.क. विवरणी से क्रेडिट के अंतिम शेष का दावा किया गया और 18 वा.क.अं.<sup>10</sup>, में 57 मामलों में देखा गया कि ₹ 75.68 करोड़ का दावा प्रपत्र ट्रान-1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में किया गया था। समुचित अधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तन/अस्वीकृति के बाद, इन करदाताओं ने ₹ 70.42 करोड़ के क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। आगे यह देखा गया कि इन करदाताओं ने जून 2017 को समाप्त अवधि के लिए अपने झा.मू.व.क. विवरणी में आई.टी.सी. को अग्रणीत किए जाने के रूप में ₹ 65.60 करोड़ की राशि दर्शाई थी। आगे मू.व.क. विवरणीयों की झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण आदेशों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों<sup>11</sup> के साथ जाँच से उद्घटित हुआ कि इन करदाताओं ने पूर्व अवधियों के अंतिम शेष की तुलना में मू.व.क. विवरणी में आई.टी.सी. के प्रारंभिक शेष को अधिक दिखाया था। के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अन्तर्गत अंतर-राज्यीय बिक्री के कारण आई.टी.सी. को भी वापस नहीं किया गया और जैसा की जाँच-सूची में दिखाया गया, करदाताओं/समुचित अधिकारियों द्वारा दावों को सत्यापित करते समय समायोजित नहीं किया गया था। उपरोक्त समायोजनों के आधार पर अग्रणीत के लिए स्वीकार्य/योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 33.99 करोड़ था। इस प्रकार, इन करदाताओं ने ₹ 36.43 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया था, जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज ₹ 20 करोड़ और ₹ 3.65 करोड़ का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-III)।

उच्चतम वित्तीय निहितार्थों पर आधारित, 57 मामलों, में से दो उदाहरणात्मक मामले, तालिका-2.4 में हैं।

<sup>10</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

<sup>11</sup> दावा किए गए आईटीसी के संबंध में प्रपत्र झा.मू.व.क. 404 में घोषणा, के.वि.क. के अन्तर्गत 8 (1) और (2) बिक्री का विवरण और व्यवसायी द्वारा किए गए अंतरराज्यीय बिक्री और स्टॉक ट्रांसफर के संबंध में फॉर्म 'सी' और फॉर्म 'एफ' में घोषणा।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)				
क्रम सं.	अंचल का नाम जी.एस.टी.आई. एन.	अवलोकनों की प्रकृति	आई.टी.सी. अग्नेनीत अग्नेनीत योग्य आई.टी.सी.	आई.टी.सी. का अधिक अग्नेनीत ब्याज और अर्थदंड
1	हजारीबाग 20XXXXXXXXXX XXXZP	करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में समुचित अधिकारी द्वारा ₹ 23.43 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्नेनीत करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, करदाता के कर निर्धारण आदेशों और झा.मू.व.क. विवरणी के अनुसार योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 12.66 करोड़ था जिसे समुचित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।	23.43 12.66	10.77 6.92
2	राँची पश्चिमी 20XXXXXXXXXX XXXZT	करदाता के कर निर्धारण आदेश और झा.मू.व.क. विवरणी के अनुसार ₹ 20 लाख ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्नेनीत के लिए योग्य था। हालांकि, समुचित अधिकारी द्वारा करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 7.70 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्नेनीत करने की अनुमति दी गई थी।	7.70 0.20	7.50 4.82

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि पाँच मामलों में ₹ 37.31 लाख राशि की वसूली की गई है और 11 मामलों में ₹ 3.72 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई। शेष मामलों में, संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है। तदंतर, एक मामले में मांग पत्र जारी नहीं किया जा सका क्योंकि करदाता राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार दिवालियेपन की प्रक्रिया के अधीन था।

### 2.3.8.2 अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

13 वा.क.अं. में 22 करदाताओं ने ₹ 34.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। हालांकि, प्राप्त दावों में अस्वीकार्य मदों पर ₹ 31.14 करोड़ का क्रेडिट शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.14 करोड़ के अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ₹ 20.17 करोड़ का ब्याज एवं अर्थदंड भी आरोपणीय था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140(1), एक निबंधित व्यक्ति को मौजूदा कानून, अर्थात् झारखंड मूल्य वर्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005 के अधीन दायर विवरणियों के लिए जून 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, निरसित किए गए झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 18(8)(xviii) में प्रावधान है कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान खपत या जले हुए वस्तु<sup>12</sup> के संबंध में निबंधित करदाता को किसी आई.टी.सी. का दावा या अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 302 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अन्तर्गत अंतिम झा.मू.व.क. विवरणी से क्रेडिट के अंतिम शेष का दावा किया गया था और 13 वा.क.अं.<sup>13</sup>, से संबंधित 22 मामलों, में देखा गया कि ₹ 34.58 करोड़ की राशि को ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। करदाताओं द्वारा स्वयं क्रेडिट को वापस करने या समुचित अधिकारियों द्वारा क्रेडिट की अस्वीकृति के बाद, इन करदाताओं ने ₹ 34.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया था। हालांकि, झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत झा.मू.व.क. विवरणी और निर्धारण आदेशों की आगे जाँच में, यह उद्घटित हुआ कि प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट, में स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) ₹ 9.46 करोड़ और आई.टी.सी. ₹ 21.68 करोड़ के उपभोग के संबंध में जो वस्तु निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल गए थे ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं थे। इस प्रकार, ₹ 31.14 करोड़ की राशि का ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अनियमित रूप से लाभ प्राप्त किया गया था जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 17.05 करोड़ का ब्याज और ₹ 3.12 करोड़, का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-IV)।

<sup>12</sup> कोयले, स्नेहक आदि जैसे सामानों पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है, जो भाप, लोहा और इस्पात आदि जैसे तैयार वस्तु के निर्माण के दौरान जल जाते हैं/खपत हो जाते हैं।

<sup>13</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

उच्चतम वित्तीय निहितार्थों पर आधारित 22 मामलों में से दो उदाहरणात्मक मामले तालिका-2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम जी.एस.टी.आई एन.	करदाता का नाम (मैसर्स)	अवलोकन की प्रकृति	अनुमत्य ट्रांजिशनल क्रेडिट अस्वीकार्य मर्दों पर दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट	अस्वीकार्य मर्दों पर अनुमत्य ट्रांजिशनल क्रेडिट ब्याज एवं अर्थदंड
1	बोकारो 20XXXXXXXXXX XXZP	बोकारो पॉवर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में समुचित अधिकारी द्वारा ₹ 21.68 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, निर्माण प्रक्रिया के दौरान जले हुये वस्तुओं से संबंधित दावा किये गये थे जो ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं था।	21.68 21.68	21.68 13.93
2	गिरिडीह 20XXXXXXXXXX XXZO	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	करदाता के मू.व.क. विवरणी के अनुसार, ₹ 2.16 करोड़ का दावा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट, टी.डी.एस. का मूल्य था जो ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं था; हालांकि, समुचित अधिकारी ने दावे को पूर्ण रूप से अग्रणीत करने की अनुमति दी।	2.16 2.16	2.16 1.39

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि सभी संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं, और के.जी.एस.टी. विभाग को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किए गए हैं।

### 2.3.8.3 पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

पाँच करदाताओं द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर ₹9.03 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का लाभ उठाया गया। हालांकि, इन करदाताओं के पास ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रणीत करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर कोई अप्रयुक्त क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) के प्रावधानों के अधीन, एक निबंधित व्यक्ति मौजूदा कानून के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्रयुक्त आई.टी.सी. की राशि का क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने 13 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों, के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 6(बी) के अन्तर्गत किया गया था और चार वा.क.अं.<sup>14</sup>, से संबंधित पाँच मामलों, में देखा गया कि ₹9.03 करोड़ की राशि पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। इन करदाताओं द्वारा दावा किए गए क्रेडिट का पूरा लाभ उठाया गया। हालांकि, इन करदाताओं के झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन मू.व.क. विवरणी और निर्धारण आदेशों की आगे की जाँच में यह उद्घटित हुआ कि निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम में इन करदाताओं के संबंध में पूंजीगत वस्तुओं पर कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, ये करदाता झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, में पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने के योग्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹9.03 करोड़ के पूंजीगत वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹4.90 करोड़ का ब्याज और अर्थदंड ₹90.41 लाख भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-V)।

उच्चतम वित्तीय निहितार्थों पर आधारित पाँच मामलों, में से दो उदाहरणात्मक मामले तालिका-2.6 में दर्शाया गया है।

<sup>14</sup> बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी।

तालिका - 2.6

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम जी.एस.टी.आई. एन.	अवलोकन की प्रकृति	पूँजीगत वस्तुओं पर अनुमत्य ट्रांजिशनल क्रेडिट  स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट	ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ  ब्याज और अर्थदंड
1	जमशेदपुर नागरीय 20XXXXXXXXXX XXZO	करदाता द्वारा पूँजीगत वस्तुओं पर ₹ 8.95 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया एवं लाभ प्राप्त किया गया। विभिन्न शाखाओं के करदाता के मू.व.क. विवरणी की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि पूँजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. नियत दिन पर उपलब्ध नहीं था और इस प्रकार करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के हकदार नहीं थे।	8.95 0.00	8.95 5.75
2	बोकारो 20XXXXXXXXXX XXZQ	करदाता ने पूँजीगत वस्तुओं पर ₹ 0.05 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। करदाता के मू.व.क. विवरणी की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि पूँजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. नियत दिन पर उपलब्ध नहीं था। हालांकि, समुचित अधिकारी ने करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 0.05 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अनियमित रूप से अनुमति दी।	0.05 0.00	0.05 0.03

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, कहा (फरवरी 2022) कि संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं, और के.जी.एस.टी. विभाग को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

#### 2.3.8.4 स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

चार वा.क.अं. में चार करदाताओं ने स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ₹ 81.53 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ व्यक्ति अधिनियम के अधीन वस्तु की बिक्री के समय इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार था, वह इनपुट या इनपुट पर मूल्यवर्द्धित कर और प्रवेश कर झा.मू.व.क., 2005 के अधीन क्रेडिट लेने का हकदार होगा जहाँ स्टॉक में रखे अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तु में निहित इनपुट इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति के पास 30 जून 2017 से पहले के 12 महीने से पहले निर्गत नहीं किए गए बीजकों और ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन कर के भुगतान का साक्ष्य हो।

लेखापरीक्षा ने 41 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ स्टॉक में रखे गए इनपुट पर क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 7(सी) के अन्तर्गत किया गया था और चार वा.क.अं.<sup>15</sup>, से संबंधित चार मामलों में देखा गया, कि स्टॉक में रखे गए इनपुट पर इन करदाताओं द्वारा ₹ 1.28 करोड़ का दावा किया गया था और ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में लाभ प्राप्त किया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ₹ 81.53 लाख की राशि ऐसे इनपुटों के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन, कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाले बीजकों द्वारा समर्थित नहीं थे। तदनुसार, ये करदाता स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ₹ 81.53 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए हकदार नहीं थे, जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 47.49 लाख का ब्याज और ₹ 8.18 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-VI)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) एक मामले में ₹ 3.88 लाख राशि की वसूली की गई है (ii) शेष मामलों में, संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और (iii) के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

#### 2.3.8.5 पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

**छः वा.क.अं. में आठ करदाताओं ने पारगमन में इनपुट पर ₹ 75.43 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।**

झा.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 140(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निबंधित व्यक्ति, नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्द्धित कर और प्रवेश कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, लेकिन कर के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन करदाता द्वारा भुगतान किया गया हो, इस शर्त के अधीन कि उसके बीजक नियत दिन से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति के लेखा बहियों में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 49 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ पारगमन में इनपुट पर क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 7(बी) के अन्तर्गत किया गया था और छः वा.क.अं.<sup>16</sup>, में आठ मामलों में देखा गया कि ₹ 75.43 लाख का दावा किया गया था और वस्तु के पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में लाभ प्राप्त किया। हालांकि,

<sup>15</sup> बोकारो, पलामू, रामगढ़, और राँची पश्चिमी।

<sup>16</sup> आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़ और सिंहभूम।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन दावों को ट्रान-1, के दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखा बहियों में ऐसे इनपुट के संबंध में बीजकों के लेखांकन की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार, अपेक्षित बीजकों के अभाव में, ये करदाता पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के हकदार नहीं थे। अतः, करदाताओं द्वारा पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 75.43 लाख की राशि का अनियमित रूप से लाभ उठाया गया। इसके अलावा, झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित लाभ के लिए ₹ 41.90 लाख का ब्याज और ₹ 7.59 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-VII)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) एक मामले में ₹ 3.30 लाख राशि की वसूली की गई है (ii) शेष मामलों में संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और (iii) के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

### 2.3.8.6 प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

समुचित अधिकारी द्वारा ₹ दो लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे को अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी, तथापि ये दावे अपेक्षित बीजकों द्वारा समर्थित नहीं थे।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 142(14) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ प्रधान का कोई वस्तु या पूंजीगत वस्तु नियत दिन को एजेंट के परिसर में पड़ा है, तो एजेंट ऐसी वस्तु या पूंजीगत वस्तु पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि उस व्यक्ति के पास 30 जून 2017 से पूर्व के 12 महीनों से पहले निर्गत नहीं किए गए बीजक हों और ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन कर के भुगतान का साक्ष्य हो।

लेखापरीक्षा ने 16 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2021) जहाँ प्रधान की ओर से एक एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 10(बी) के अन्तर्गत किया गया था और धनबाद नागरीय वा.क.अं. से संबंधित एक मामले में देखा गया कि प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा स्टॉक में रखे गए वस्तु पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ दो लाख की राशि का दावा किया गया था। सत्यापन पर समुचित अधिकारी, ने दावे को ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में पूर्ण रूप से अनुमति दी। तथापि, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि इस तरह के इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अधीन कर के भुगतान को प्रमाणित करने वाले अपेक्षित दावे बीजकों द्वारा समर्थित नहीं थे। इस प्रकार, करदाता

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रणीत करने के हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप समुचित अधिकारी द्वारा ₹ दो लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनियमित अनुमति दी गई। इसके अलावा, झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1.09 लाख का ब्याज और ₹ 0.20 लाख का अर्थदंड भी ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित लाभ के लिए आरोपणीय था (परिशिष्ट-VIII)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि संबंधित करदाता को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

### 2.3.8.7 कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

यद्यपि करदाताओं ने निर्धारित समय सीमा से परे ट्रान-1 दाखिल किया था, या निरसित अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संवेदक के रूप में निबंधित नहीं थे, उन्होंने कार्य संविदा सेवा पर अनियमित रूप से ₹ 1.56 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किया था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 142(11)(सी) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ किसी भी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया था, झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अन्तर्गत, कर झा.जी.एस.टी. के अन्तर्गत आरोपणीय होगा और झा.जी.एस.टी. अधिनियम और कर योग्य व्यक्ति नियत दिन के बाद की गई आपूर्ति की सीमा तक मौजूदा कानून के अधीन भुगतान किए गए मूल्य वर्द्धित कर या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और इस तरह के क्रेडिट की गणना वैसे ही की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, झा.जी.एस.टी. नियम 2017 के नियम 118 के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उप-धारा (11) के खंड(सी) के प्रावधान लागू होते हैं, नियत दिन से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ट्रान-1 दाखिल करेगा।

लेखापरीक्षा ने आठ ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) जहाँ मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट का दावा ट्रान-1 की तालिका 11 के अन्तर्गत किया गया था और देखा गया कि(सितंबर 2021) चाईबासा और जमशेदपुर वा.क.अं., से संबंधित दो मामलों में ₹ 1.56 करोड़ की राशि का दावा किया गया था और कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच पर, एक मामले में यह पाया गया कि निर्धारित अवधि के बाद ट्रान-1 दाखिल किया गया था। अन्य मामले में, करदाता निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संवेदक के रूप में निबंधित नहीं थे। इस प्रकार, ये करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत

₹ 1.56 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया गया जिस पर ₹ 85.44 लाख का ब्याज और ₹ 15.58 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-IX)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

### 2.3.8.8 अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ब्याज और अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण

14 वा.क.अं., के समुचित अधिकारियों ने 24 मामलों में, ₹ 15.91 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे को अस्वीकार किया और ₹ 6.44 करोड़ के आरोपणीय ब्याज और अर्थदंड के बदले ₹ 35.88 लाख का ब्याज और अर्थदंड लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज एवं अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 50(3) और 73(9) समुचित अधिकारी को, आई.टी.सी. के अनुचित या अधिक दावा किए जाने या इनपुट टैक्स का गलत तरीके से लाभ उठाए जाने या उपयोग किये जाने के मामले में 24 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से ब्याज एवं कर के 10 प्रतिशत के समतुल्य या ₹ 10,000, जो भी अधिक हो, अर्थदंड अधिरोपित करने का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और 14 वा.क.अं.<sup>17</sup> में 24 मामलों में देखा कि इन करदाताओं ने ₹ 16.79 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। समुचित अधिकारियों ने सत्यापन पर ₹ 15.91 करोड़ के दावों को अस्वीकार कर दिया और ₹ 35.88 लाख का ब्याज और अर्थदंड लगाया। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वास्तविक ब्याज और अर्थदंड ₹ 6.44 करोड़ आरोपणीय था। इस प्रकार, समुचित अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ (परिशिष्ट-X) के ब्याज एवं अर्थदंड का अल्पारोपण/अनारोपण हुआ जैसा कि तालिका-2.7 में दर्शाया गया है।

<sup>17</sup> बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर नागरीय, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, साहिबगंज और सिंहभूम।

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम	मामलों की संख्या	दावा की गई राशि अनुमत्य राशि	ब्याज और अर्थदंड आरोप्य ब्याज और अर्थदंड आरोपणीय	ब्याज और अर्थदंड का अल्पावधि
1	बोकारो	01	<u>0.02</u> 0.00	<u>0.002</u> 0.004	0.002
2	चाईबासा	01	<u>1.13</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.52	0.52
3	चिरकुंडा	02	<u>0.10</u> 0.03	<u>0.01</u> 0.04	0.03
4	देवघर	01	<u>0.31</u> 0.00	<u>0.07</u> 0.10	0.03
5	धनबाद	02	<u>1.43</u> 0.004	<u>0.00</u> 1.30	1.30
6	दुमका	04	<u>1.00</u> 0.64	<u>0.07</u> 0.12	0.05
7	जमशेदपुर नागरीय	01	<u>0.80</u> 0.00	<u>0.15</u> 0.19	0.04
8	पाकुड़	02	<u>0.08</u> 0.02	<u>0.01</u> 0.02	0.01
9	रामगढ़	01	<u>0.81</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.23	0.23
10	राँची पूर्वी	01	<u>0.03</u> 0.00	<u>0.01</u> 0.02	0.01
11	राँची दक्षिणी	04	<u>2.06</u> 0.11	<u>0.00</u> 1.01	1.01
12	राँची विशेष	02	<u>8.61</u> 0.02	<u>0.00</u> 2.78	2.78
13	साहिबगंज	01	<u>0.07</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.01	0.01
14	सिंहभूम	01	<u>0.31</u> 0.05	<u>0.05</u> 0.10	0.05

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि एक मामले में वसूली हुई है और अन्य मामले में ₹ 0.50 लाख की अतिरिक्त मांग उठाई गई है। शेष मामलों में संबंधित करदाताओं को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं और के.जी.एस.टी. विभाग, को उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित करदाताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है।

### 2.3.8.9 मू.व.क. विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

चार करदाताओं ने ₹2.60 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किया, हालांकि निरसित झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन उनके द्वारा निर्धारित विवरणी, दाखिल नहीं किया गया।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, एक निबंधित व्यक्ति को ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ उसने नियत तारीख के तत्काल पूर्व छः महीने की अवधि के लिए मौजूदा कानून के अधीन, सभी आवश्यक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करता है।

लेखापरीक्षा ने 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और तीन वा.क.अं.<sup>18</sup> में चार मामलों में देखा कि इन करदाताओं ने ₹2.60 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था और उसका लाभ उठाया। हालांकि, झा.मू.व.क. अधिनियम, के अधीन करदाताओं के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन करदाताओं ने अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्धारित नियत तारीख के तत्काल पूर्व छः महीने की अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार, ये करदाता ₹2.60 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के योग्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट के गलत लाभ के लिए ₹1.48 लाख का ब्याज और ₹0.40 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था (परिशिष्ट-XI)।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); सचिव, वा.क.वि., ने बहिर्गमन सम्मेलन, के दौरान कहा (फरवरी 2022) कि: (i) तीन मामलों में ₹3.48 लाख का अतिरिक्त मांग निर्गत किया गया है (ii) शेष मामलों में संबंधित करदाता को सुनवाई के लिए सूचना निर्गत किए गए हैं।

<sup>18</sup> देवघर, पलामू और राँची पश्चिमी।

### 2.3.8.10 निर्धारित समय सीमा से परे मांग आदेश का अनियमित पुनरीक्षण

समुचित अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी होने के छः महीने के भीतर मांग में सुधार कर सकता है। तथापि, एक मामले, में ₹ 55.19 लाख की मांग पत्र को बिना कोई कारण बताए 16 महीने की समाप्ति के बाद संशोधित कर गलत तरीके से 'शून्य' दिखलाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 161 निर्धारित करता है कि कोई भी प्राधिकरण जो किसी पारित या जारी कोई निर्णयों या आदेश में किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे अभिलेख को देखने से ही प्रगट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहाँ ऐसी त्रुटियाँ इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए प्रभावित व्यक्ति के द्वारा उसकी जानकारी में ली जाती है, बशर्ते ऐसा कोई भी आदेश जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि के बाद कोई परिशोधन नहीं किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने सभी 28 वा.क.अं. में 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों, की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और बोकारो वा.क.अं. के एक मामले में देखा कि एक करदाता ने ₹ 43.11 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। समुचित अधिकारी सत्यापन पर गलत तरीके से ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किए जाने के दावे को अस्वीकार कर दिया और 29 सितंबर 2018 को ₹ 55.19 लाख, की राशि के लिए प्रपत्र डी.आर.सी.-07, में मांग पत्र निर्गत किया। हालांकि, समुचित अधिकारी ने, 16 महीने के बाद, उपरोक्त डी.आर.सी.-07, में सुधार किया था और 03 फरवरी 2020 को निर्धारित समय सीमा से परे और बिना कारण बताए एक संशोधित 'शून्य' मांग प्रपत्र डी.आर.सी.-08, बनाया। समुचित अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधान का पालन न करने और निर्धारित समय सीमा से परे मांग की समीक्षा करने के परिणामस्वरूप ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

मामले को बताये जाने पर (सितंबर 2021), बोकारो वा.क.अं. के समुचित अधिकारी ने कहा (सितंबर 2021) कि मामले की समीक्षा की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 2.3.8.11 कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत निबंधित करदाता द्वारा लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन करदाता हालांकि कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत निबंधित था, उसने अनियमित रूप से ₹0.56 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया था।

झा.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 140(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधिनियम के अधीन कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से भिन्न, एक निबंधित व्यक्ति मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, पूँजीगत वस्तु की अप्रयुक्त क्रेडिट जून 2017, को समाप्त अवधि के लिए मौजूदा कानून के अधीन क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने 358 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और सितंबर 2021 के बीच) और देखा कि धनबाद वा.क.अं., के एक करदाता ने ₹0.56 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया और उसका लाभ उठाया। हालांकि, अभिलेखों की जाँच में उद्घटित हुआ कि करदाता झा.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन कंपोजिशन लेवी योजना के अन्तर्गत निबंधित था। इस प्रकार, करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹0.56 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ जिस पर झा.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज ₹0.03 लाख और ₹0.10 लाख का अर्थदंड भी आरोपणीय था।

मामले को बताये जाने पर (सितंबर 2021), धनबाद वा.क.अं., के समुचित अधिकारी ने कहा (सितंबर 2021) कि मामले की समीक्षा की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 2.3.9 निष्कर्ष

विभाग सत्यापन के लिए चयनित 2,845 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में से 1,706 मामलों का सत्यापन नहीं कर सका (सितंबर 2021), जहाँ ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹96.15 करोड़ का दावा किया गया था।

विभाग ने समुचित अधिकारियों, द्वारा निर्देशों के पालन की निगरानी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 105 उच्च मूल्य के मामलों में से 75 करदाताओं के ट्रांजिशनल दावों का सत्यापन उन अधिकारियों द्वारा किया गया जो सत्यापित करने के लिए अधिकृत ही नहीं थे। विभाग द्वारा निर्धारित जाँच सूची विभाग द्वारा सत्यापित मामलों पर प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप

₹ 14.06 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट 24 माह की समाप्ति के बाद भी वसूल नहीं किया गया था।

करदाताओं/समुचित अधिकारियों ने झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। तदंतर, समुचित अधिकारियों ने भी विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों/जाँचों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 57 मामलों, में ₹ 60.08 करोड़ के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ, 22 मामलों में ₹ 51.31 करोड़ की अस्वीकार्य मदों पर अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ और पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ, स्टॉक में रखे गए इनपुट, पारगमन में इनपुट, प्रधान की ओर से एजेंट द्वारा रखे गए वस्तु पर इनपुट और 20 मामलों में ₹ 20.06 करोड़ के लिए कार्य संविदा सेवाओं में अधिक इनपुट का लाभ प्राप्त किया।

समुचित अधिकारियों ने अस्वीकृत 24 मामलों में ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज का अल्पारोपण किये थे। एक मामले में ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट को निर्धारित समय सीमा से परे मांग आदेश में सुधार करके अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम वे हैं जो चयनित लेखापरीक्षा नमूने के भीतर ध्यान में आए और संभावना है कि अन्य ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में भी यही अनियमिततायें जारी रह सकती हैं। वा.क.वि. सभी वाणिज्य कर अंचलों में ऐसे सभी मामलों की पूरी तरह से जाँच कर सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

### 2.3.10 अनुशंसाएं

सरकार विचार कर सकती है:

- समुचित अधिकारियों द्वारा झा.जी.एस.टी. अधिनियम/नियमों के निर्देशों के पालन और अनुपालन की निगरानी के लिए शीर्ष स्तर पर एक प्रणाली स्थापित करना;
- शेष 1,706 मामलों को समयबद्ध तरीके से सत्यापित करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करना; तथा
- गलत तरीके से लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के कारण बकाया देयता की शीघ्र वसूली के लिए विभाग को निर्देश जारी करना।

## अन्य अवलोकनें/ कंडिकार्यें

## 2.4 अस्वीकृत छूटों और रियायतों पर ब्याज का अनारोपण

अस्वीकृत छूटों, रियायतों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के कारण ₹ 61.65 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अधीन आवश्यक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट, छूटों एवं कटौतियाँ और कोई अन्य छूट या रियायतों पर ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। तदन्तर, अधिनियम निर्धारित अतिरिक्त कर, के भुगतान में विलंब होने पर विलंब होने की तिथि से जब तक उक्त कर के भुगतान में निर्धारिती द्वारा विलंब किया जाता है, प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

सात वाणिज्य कर अंचलों<sup>19</sup>, में निबंधित 38,470 व्यवसायियों में से 851 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में (सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच) उद्घटित हुआ कि कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.), ने 10 व्यवसायियों, के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच की अवधि का कर निर्धारण, संपन्न करने के दौरान ₹ 1,444.34 करोड़ के आवर्त के छूटों और रियायतों एवं ₹ 7.10 करोड़ के आवर्त के आई.टी.सी. के समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया। उपरोक्त अस्वीकृत आवर्त पर क.नि.प्रा. द्वारा आई.टी.सी. सहित ₹ 81.41 करोड़ का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया गया। हालांकि, क.नि.प्रा. अस्वीकृत दावों पर ₹ 61.65 करोड़ की राशि का दंडात्मक ब्याज आरोपण में विफल रहे। तदन्तर, यह पाया गया कि कर निर्धारण के दौरान, अस्वीकृत छूट, रियायतें और आई.टी.सी. के समायोजन पर ब्याज का आरोपण समान रूप से उपरोक्त अंचलों में नहीं किया जा रहा था।

मामलों को इंगित किए जाने पर उ.रा.क., गिरिडीह, ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित (अगस्त 2021) किया कि मांग पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं; उ.रा.क., पलामू, ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि मांग पत्र निर्गत किया गया था और उ.रा.क. बोकारो, ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं। तीन उ.रा.क.<sup>20</sup> ने कहा (दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। तथापि, उ.रा.क. जमशेदपुर नागरीय, ने कहा (जनवरी 2021) कि दाखिल विवरणियों के आधार पर कर एवं ब्याज आरोपणीय नहीं था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि क.नि.प्रा. द्वारा

<sup>19</sup> बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

<sup>20</sup> जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची पश्चिमी।

अतिरिक्त कर का निर्धारण किया गया था जिस पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ब्याज आरोपणीय था। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार/विभाग को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

## 2.5 झा.मू.व.क. अधिनियम के अधीन क्रय आवर्त का छिपाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों, ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप आठ व्यवसायियों द्वारा ₹126.48 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹26.29 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, की धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के ठोस कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा। तदन्तर, अधिनियम क.नि.प्रा. को छिपाए गए आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में निर्धारित अतिरिक्त कर की तीन गुना राशि के समतुल्य राशि के अधिरोपण का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने पाँच वाणिज्य कर अंचलों<sup>21</sup> में निबंधित 24,759 व्यवसायियों में से 775 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि आठ व्यवसायियों ने 2015-16 से 2016-17 की अवधि के दौरान, आवधिक विवरणियाँ और प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसके आधार पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था (मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच) के द्वारा ₹3,220.15 करोड़ के क्रय आवर्त दर्शाया था। तदन्तर, अभिलेखों<sup>22</sup> की जाँच से यह पता चला कि आठ व्यवसायियों का वास्तविक क्रय/विक्रय आवर्त ₹3,346.63 करोड़ था। इस प्रकार, अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचना के साथ विवरणियों का तिर्यक जाँच करने में क.नि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹126.48 करोड़ के आवर्त को छुपाया गया था। फलस्वरूप ₹19.72 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹26.29 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

<sup>21</sup> आदित्यपुर, बोकारो, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, और राँची पश्चिमी

<sup>22</sup> वार्षिक विवरणियाँ, त्रैमासिक विवरण/झा.मू.व.क.-200, विनिर्माण एवं लाभ और हानि खाता, झा.मू.व.क.-409, झा.मू.व.क.-506 और झा.मू.व.क.-404।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) उ.रा.क., बोकारो ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं। उ.रा.क., गिरिडीह और राँची पश्चिमी ने कहा (नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। उ.रा.क., धनबाद नागरीय ने कहा (अक्टूबर 2021) कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत समाशोधन विवरणी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भंडार अंतरण में कोई विसंगति नहीं देखी गई। तथापि, समाशोधन विवरणी एवं व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। उ.रा.क., आदित्यपुर ने कहा (अप्रैल 2022) कि त्रैमासिक विवरणी में दिखाई गई अंतर-राज्यीय क्रय में के.बि.क. शामिल है, तथापि, व्यापार खाते में दर्ज अंतर-राज्यीय क्रय आवर्त में के.बि.क. शामिल नहीं है। उत्तर अनुरूप नहीं है, क्योंकि झा.मु.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 2 (xliii) में प्रावधान है कि के.बि.क. क्रय को कर सहित व्यापार खाते में दर्ज करना आवश्यक है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

## 2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमिततायें

**क.नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करते समय ₹ 11.36 करोड़ के बदले ₹ 25.82 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की।**

झा.मु.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18(8) के प्रावधानों के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों द्वारा क्रय किए गए वस्तुओं को उसी रूप में बिक्री या अन्य सामग्रियों के निर्माण में उपयोग कर उनकी बिक्री केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (2) के अंतर्गत होने वाले अंतर-राज्यीय व्यापार के द्वारा किए जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट(आई.टी.सी.) की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदन्तर, 17 फरवरी 2017 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, की धारा 8(1) के अंतर्गत होने वाले अंतर-राज्यीय व्यापार बिक्री पर आई.टी.सी. देय कर की सीमा तक स्वीकार्य था। साथ ही, झा.मु.व.क. नियमों के अधीन छूट प्राप्त और अनुसूची-ई वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपभोग किए गए वस्तु के संबंध में ऐसे मामलों में आई.टी.सी. की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ कर योग्य बिक्री का मूल्य कुल आवर्त का पाँच प्रतिशत या उससे कम है।

लेखापरीक्षा ने बोकारो और धनबाद नागरीय वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 8,345 व्यवसायियों में से 246 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच) और पाया कि 11 व्यवसायियों ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 25.88 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (जून 2017 और अगस्त 2020 के बीच) इन व्यवसायियों को ₹ 25.82 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की।

यद्यपि, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि इन व्यवसायियों द्वारा के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री पर आई.टी.सी. को गलत तरीके से आनुपातिक किया गया था; और गलत तरीके से अनुमत्य किया गया था जहाँ कर योग्य बिक्री कुल आवर्त के पाँच प्रतिशत से कम थी और वस्तु अनुसूची-ई और छूट प्राप्त वस्तु के निर्माण में उपयोग किया गया था। ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 11.36 करोड़ के आई.टी.सी. के हकदार थे। फलस्वरूप ₹ 14.46 करोड़ के अतिरिक्त आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

मामलों को इंगित किए जाने (जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच) पर उ.रा.क., धनबाद नागरीय ने सूचित किया कि (अक्टूबर 2021) छः मामलों में मांग पत्र निर्गत किए गए हैं एवं उ.रा.क., बोकारो ने सूचित किया कि (अप्रैल 2022) सुनवाई के लिए सूचना पत्र निर्गत किए गए हैं। वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

## 2.7 अर्थदंड का अनारोपण

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के निर्धारित प्रावधानों के अधीन ₹ 9.68 करोड़, का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जब कोई व्यवसायी आवर्त के पूरे या किसी हिस्से को विवरणी के माध्यम से छुपाता है और गलत, अधूरा या वास्तविक से कम राशि का ब्यौरा दाखिल करता है, तो विहित प्राधिकारी ऐसे आवर्त पर देय कर की राशि का आकलन कर सकता है और निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के तीन गुना के समतुल्य अर्थदंड लगा सकता है। धारा 47(1)(ब) के अनुसार, यदि एक निबंधित व्यवसायी, उसके द्वारा देय कर से अधिक कर के रूप में कोई राशि एकत्र करता है, तो उसके द्वारा एकत्र किए गए कर के अतिरिक्त, वह कर के दोगुने के बराबर अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, धारा 63(3) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यवसायी जिसका सकल आवर्त ₹ 60 लाख से अधिक है, अपने खातों का लेखापरीक्षा और निर्दिष्ट अवधि के अन्दर झा.मू.व.क.-409 फॉर्म में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी ऐसे आवर्त पर देय कर के अतिरिक्त 0.1 प्रतिशत के बराबर अर्थदंड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने रामगढ़ वाणिज्य कर अंचल में निबंधित 5,398 व्यवसायियों में से 106 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जनवरी 2021) और पाया कि क.नि.प्रा. ने तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 9.68 करोड़, का अर्थदंड लगाने में विफल रहे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- दो व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के लिए ₹2,988.68 करोड़, के सकल आवर्त का खुलासा किया था। क.नि.प्रा. ने अगस्त 2020 में कर निर्धारण संपन्न करते समय कर अपवंचना के लिए व्यवसायियों द्वारा किए गए मंशा के कारण आवर्त को बढ़ाकर ₹3,069.88 करोड़ कर दिया। यद्यपि क.नि.प्रा. ने आवर्त में ₹81.19 करोड़, की वृद्धि की और ₹3.18 करोड़, के अतिरिक्त कर का निर्धारण किया, परन्तु निर्धारित अतिरिक्त कर पर ₹9.54 करोड़, का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।
- एक व्यवसायी ने 2016-17 की अवधि के लिए अपनी कर देयता ₹9.52 करोड़ के विरुद्ध ₹9.59 करोड़, का कर एकत्र किया था। क.नि.प्रा. ने व्यवसायी द्वारा संग्रहित अधिक कर के लिए ₹14.54 लाख का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (जनवरी 2021), क.नि.प्रा. ने कहा (जनवरी 2021) कि इन मामलों की समीक्षा की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार/विभाग को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

## 2.8 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹16.39 करोड़ के बदले ₹8.92 करोड़ का कर आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹7.47 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. नियम, 22(2) के अनुसार, जब किसी संविदा में श्रम, एवं सेवा प्रभार की राशि अभि-निश्चित करने के अयोग्य है, तब उक्त प्रभारों की राशि कुल प्राप्त/प्राप्य के 30 प्रतिशत के रूप में गणना की जाएगी, तथा इसके बाद प्राप्त करदेय आवर्त 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे। तदन्तर नवंबर 2016, में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, भाग-II की अनुसूची-ब के अन्तर्गत वस्तुओं के लिए कर की मौजूदा दर पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दी गई थी। साथ ही, के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जहाँ लेनदेन का समर्थन प्रपत्र "सी" और "ई-I" में घोषणाओं द्वारा किया गया था, कर आरोपणीय नहीं था। प्रपत्र 'ई-I' घोषणा प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, कर की राज्य दर तब लागू होती थी जब विक्रेता और क्रेता व्यवसायी दोनों एक ही राज्य के थे।

लेखापरीक्षा ने चार वाणिज्य कर अंचलों<sup>23</sup> में निबंधित 20,150 में से 632 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और क.नि.प्रा. ने पाया कि 2016-17 की अवधि के लिए, पाँच

<sup>23</sup> आदित्यपुर, बोकारो, गिरिडीह और जमशेदपुर।

व्यवसायियों का कर निर्धारण संपन्न करते समय (जनवरी 2020 और अगस्त 2020 के बीच) कर की गलत दर लागू करने के कारण ₹ 16.39 करोड़ के बदले ₹ 8.92 करोड़ का कर लगाया। परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण ₹ 7.47 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ, जैसा कि तालिका 2.8 में विस्तृत है।

तालिका-2.8

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मामलों की संख्या	अवलोकन की प्रवृत्ति	सही दरों पर कर भुगतेय कर भुगतान	कर का अल्पारोपण
1	03	तत्काल मामलों में, क.नि.प्रा. ने संशोधित दरों पर कर आरोपण में विफल रहे, जो कि क्रमशः 5 और 14 प्रतिशत से 5.5 और 14.5 प्रतिशत में संशोधित किये गये थे।	5.54 5.04	0.50
2	01	तत्काल मामलों में, श्रम और अन्य समान शुल्कों के लिए कटौती की अनुमति देने के बाद, नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने योग्य शेष आवर्त पर क.नि.प्रा. ने 14 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया।	9.19 3.28	5.91
3	01	तत्काल मामलों में, करदाता द्वारा फॉर्म सी में घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहने के बावजूद क.नि.प्रा. ने अंतरराज्यीय पारगमन बिक्री आपूर्ति पर रियायती दर पर कर लगाया।	1.66 0.60	1.06

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच), उ.रा.क., गिरिडीह और जमशेदपुर ने कहा कि (नवंबर और दिसंबर 2020) मामलों की समीक्षा की जाएगी, जबकि उ.रा.क., बोकारो ने सूचित (अप्रैल 2022) किया कि सुनवाई के लिए सुचना पत्र निर्गत किए गए हैं, और उ.रा.क., आदित्यपुर ने सूचित (अप्रैल 2022) किया कि मांग पत्र निर्गत किए गए हैं। वसूली के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

## 2.9 छूट की गलत अनुमति

क.नि.प्रा. द्वारा कर की अधिक छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 9(5) प्रावधानित करता है कि जब एक निबंधित व्यवसायी किसी बिक्री के क्रम में वस्तुओं की मात्रा के नगद छूट के अलावा व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है तो व्यापार छूट या प्रोत्साहन के रूप में अनुमत्य मात्रा व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री माना जायेगा। आगे, झा.मू.व.क. नियम 2006 के नियम 22(1) (डी) के अन्तर्गत कार्य संविदा में शामिल वस्तु का मूल्य कार्य संवेदक द्वारा अर्जित लाभ सहित श्रम और अन्य समान शुल्कों की कटौती के बाद कर योग्य था, जो कि उनके सकल प्राप्त मूल्य से श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित था। साथ ही के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत प्रपत्र 'I' में घोषणा प्रस्तुत करने पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र बिक्री पर कर से छूट स्वीकार्य थी।

लेखापरीक्षा ने तीन वाणिज्य कर अंचलों<sup>24</sup> में निबंधित 15,886 व्यवसायियों, में से 396 व्यवसायियों, के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच) और पाया कि चार व्यवसायियों ने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए व्यापार छूट, रॉयल्टी, श्रम और सेवाओं की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित लाभ के कारण और विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवसायियों को श्रम और सेवाओं की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित ₹ 46.43 करोड़ के आवर्त पर कर से छूट का दावा किया। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2019 और अगस्त 2020 के बीच) पूर्ण छूट की अनुमति प्रदान की। तथापि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन व्यवसायियों को अनुमेय छूट केवल ₹ 36.78 करोड़ के आवर्त पर थी। परिणामस्वरूप ₹ 9.65 करोड़ के आवर्त पर अधिक छूट मिली और ₹ 1.12 करोड़ के कर का अनुवर्ती अल्पारोपण हुआ।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद (नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच), उ.रा.क., जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी ने कहा (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी, जबकि उ.रा.क., गिरिडीह ने सूचित (अप्रैल 2022) किया कि मांग पत्र निर्गत किए गए हैं। वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

मामले को सरकार को मार्च 2022 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

<sup>24</sup> गिरिडीह, जमशेदपुर नागरीय और राँची पश्चिमी।

## उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

### 2.10 कर प्रशासन

उत्पाद कर का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा यथाअंगीकृत बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों/निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा शासित है। सरकार के स्तर पर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग का प्रमुख है और राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों और कार्यक्रमों के प्रशासन और निष्पादन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। उन्हें मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद का सहयोग प्राप्त होता है। तदन्तर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमंडलों<sup>25</sup> में विभक्त है जो प्रत्येक उत्पाद उपायुक्त के नियंत्रणाधीन है। प्रमंडलों को पुनः 24 उत्पाद जिलों में विभाजित किया गया है जो सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन है।

### 2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा 2020-21 के दौरान विभाग के कुल 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से आठ<sup>26</sup> (26 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। 2019-20 के दौरान नमूना जाँच किये गए जिलों में 490 खुदरा बंदोबस्त उत्पाद दुकान थी। लेखापरीक्षा द्वारा सभी बंदोबस्त उत्पाद दुकानों की नमूना जाँच की गयी। विभाग द्वारा 2019-20 के दौरान ₹ 2009.27 करोड़ संग्रहित की गई, जिनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 615.55 करोड़ (30.64 प्रतिशत) संग्रहित किये गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा 1,121 मामलों में ₹ 75.58 करोड़ की अनियमितता पाई गयी जैसा कि तालिका 2.9 में वर्णित है:

<sup>25</sup> उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची तथा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

<sup>26</sup> सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, रांची, सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ एवं अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह, कोडरमा और झारखण्ड स्टेट बेबरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची।

तालिका-2.9

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	उत्पाद परिवहन शुल्क (ई.टी.डी.) के विलम्ब से जमा करने के कारण हुये विलम्ब शुल्क का अनारोपण	392	47.24
2	डेमेरेज चार्ज की कम वसूली	167	7.19
3	न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (एम.जी.डी.) के देर/ नहीं जमा किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना	449	7.18
4	सरकारी राजस्व का जमा नहीं किया जाना	66	3.30
5	बार एवं रेस्टोरेन्ट से परमिट शुल्क के रूप में राजस्व की हानि	01	1.79
6	प्रीभिलेज शुल्क का कम जमा होना	01	5.02
7	विदेशी निर्मित विदेशी शराब के लेबल रजिस्ट्रेशन/ नवीकरण के समय प्रोसेसिंग शुल्क का अनारोपण के कारण राजस्व की हानि	05	0.01
8	ई.टी.डी. का अनारोपण	01	2.99
9	अन्य	39	0.86
कुल		1,121	75.58

178 मामलों में सन्निहित ₹ 6.43 करोड़ से संबन्धित अनियमितताओं की चर्चा नीचे दी गयी कंडिका में की गयी है:

## 2.12 शराब का कम उठाव एवं विलम्ब शुल्क का अनारोपण

विभाग द्वारा शराब के कम उठाव के कारण आरोपनीय न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क के समतुल्य उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 19.61 लाख एवं विलम्ब से न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क एवं उत्पाद परिवहन शुल्क की राशि जमा किये जाने के कारण आरोपनीय विलम्ब शुल्क की राशि ₹ 6.23 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 सह-पठित (शराब की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संसोधित) नियामवली, 2019 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के लाइसेंस प्राप्त बिक्रेता महीने के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (एम.जी.डी.) के समतुल्य शराब उठाने के लिए बाध्य होगा, जिसमें असफल होने पर कम उठाये गए शराब के समतुल्य एम.जी.डी. की राशि महीने के अंत में जमा करना होगा। खुदरा उत्पाद दुकान के लाइसेंस प्राप्त बिक्रेता को वार्षिक उत्पाद परिवहन शुल्क (ई.टी.डी.) के 12<sup>वें</sup> भाग को अग्रिम रूप में प्रत्येक महीने के 15 तारीख तक जमा करना होगा। तदन्तर, नियमानुसार एम.जी.डी./ई.टी.डी. के जमा नहीं करने/ कम जमा करने पर पाँच प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क प्रतिदिन आरोपित किया जाएगा।

अभिलेखों<sup>27</sup> की जाँच (दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) के दौरान यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये पांच उत्पाद जिलों<sup>28</sup> के सभी 490 बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों में 115 खुदरा दुकानों को एम.जी.डी. के समतुल्य ₹ 2 करोड़ की शराब का उठाव करना था। तथापि, इन उत्पाद दुकानों ने निर्धारित तिथि के दरम्यान एम.जी.डी. के समतुल्य ₹ 1.40 करोड़ की शराब का उठाव किया था। बिक्रेताओं ने शराब का कम उठाव किया, जो एम.जी.डी. की ₹ 60.40 लाख की राशि थी, जिसमें से ₹ 40.43 लाख का भुगतान दो से 335 दिनों के मध्य विलम्ब से किया गया। तदन्तर, कुल 63 खुदरा उत्पाद दुकान के बिक्रेताओं ने एक से 89 दिनों के बीच की देरी से ₹ 8.36 करोड़ की ई.टी.डी. जमा किया था। उत्पाद जिलों ने माह एवं माह तक से संबंधित दुकानवार प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त उत्पाद को प्रेषित किया था जिसमें एम.जी.डी. का निर्धारण तथा आरोपनीय ई.टी.डी., उठायी गयी शराब/भुगतीत ई.टी.डी. सम्मिलित था। तथापि, विभाग ने कम उठाई गयी शराब पर एम.जी.डी. के समतुल्य उत्पाद शुल्क और एम.जी.डी. एवं ई.टी.डी. के विलम्ब से भुगतान करने के लिए विलम्ब शुल्क आरोपन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कम उठाव किये शराब पर ₹ 19.61 लाख की एम.जी.डी. और एम.जी.डी. तथा ई.टी.डी. के नहीं/देर से भुगतान के लिए विलम्ब शुल्क क्रमशः ₹ 2.78 करोड़ एवं ₹ 3.45 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद (दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के मध्य) संबंधित अधिकारियों (स.आ.उ./अ.उ.) ने कहा (दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के मध्य) कि विस्तृत सत्यापन के बाद कदम उठाये जायेंगे। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

मामला जुलाई 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2024)।

---

<sup>27</sup> बंदोबस्ती पंजी, राजस्व संचिका एवं अनुज्ञाधारी का खाता-बही लेजर।

<sup>28</sup> बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग एवं कोडरमा।